

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,

ऑडिट भवन, ग्वालियर

प्रशासन समूह

अनुभागीय ईमेल आई डी- admin11.mp1.au@cag.gov.on

Admin-11/G-3/LEAVE_ENCASHMENT/File दिनांक:-04-08-2026

कार्यालय आदेश-71

निम्नलिखित अधिकारी को उनके द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेने हेतु स्वीकृत अवकाश के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 के नियम 38-A के प्रावधानों के अनुसार 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

Sanction of 10 days leave encashment is accorded to the following officer for availing the benefit of leave travel concession in view of sanctioned leave as per the provisions of Rule 38-A of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972-

सं.क्र.	नाम/पदनाम Name/Post	अवकाश की अवधि एवं प्रकृति/Period nature of leave	अवकाश रियायत प्रकार/Type of LTC	यात्रा का वर्ष/अवकाश नगदीकरण का अवसर Block year/ Leave Encashment no.
1.	श्री कृष्ण कुमार, व.ले.प.अ. (01/6200)	दिनांक- 29.06.2026 से 03.07.2026 तक का अर्जित अवकाश	भारत दर्शन	2022-2025 (विस्तारित 2026) तृतीय अवसर
2.	श्रीमती रेजिना जॉर्ज, स.ले.प.अ. (02/6898)	दिनांक- 09.06.2026 से 12.06.2026 तक का अर्जित अवकाश	गृह नगर	2026-2029 पाचवाँ अवसर
3.	श्री शैलेन्द्र छत्रशाली, स.ले.प.अ. (02/10244)	दिनांक- 29.06.2026 से 03.07.2026 तक का अर्जित अवकाश	भारत दर्शन	2026-2029 छठवाँ अवसर

(उप महालेखाकार/प्रशासन के अनुमोदन से जारी)

-हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

ई-ऑफिस के माध्यम से :-

1. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी प्रशासन-13,14 अवकाश नकदीकरण भुगतान संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सम्बंधित अधिकारी
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी आई.एस.विंग को "Administration Personnel" लिंक के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।
4. श्री महेश कुमार अलोरिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को इन्टरनेट/इंट्रानेट पर अपलोड एवं सुनिश्चित करने हेतु।
5. श्री राहुल वर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को eHRMS में अद्यतन करने हेतु।

हार्ड-कॉपी के माध्यम से :-

6. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

-हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11